रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या- 9/2016/सीपी 69/84-2-2016-सीपी 6/2014
लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के अधिसूचना संख्या-13/2015 / सीपी 445/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01.06.2015, द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री संत राम यादव, ग्राम व पोस्ट सरैया माफी, थाना बल्दीराम, ब्लाक धनपतगंज, सुल्तानपुर की नियुक्ति की गयी थी।

2 उक्त अधिसूचना दिनांक 01.06.2015 में श्री प्रमोद कुमार को निर्देशित किया गया था कि चरित्र सत्यापन के पश्चात निबंधक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण करने संबंधी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं, के शपथ पत्र सहित कार्यालय राज्य विवाद प्रतितोष आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

3 निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3485/एससीडीआरसी/अधि 31/15, दिनांक 06 अक्टूबर 2015 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रमोद कुमार द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य **सदस्य** के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

4 अतएव श्री प्रमोद कुमार को शासन के पत्र संख्या-सीपी 633/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 द्वारा कारण बताओ नोटिस इस निर्देश के साथ गयी थी कि शासन की अधिसूचना दिनांक 1.06.2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य **सदस्य** के पद पर कार्यभार ग्रहण के इच्छुक नहीं है, अत: क्यों न आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

5 इस संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-5065/एससीडीआरसी/अधि 31/15, दिनांक 02 फरवरी, 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री प्रमोद कुमार द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित न होने तथा आयोग एवं शासन द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर न दिये जाने के कारण उनकी जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

------2-----

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6 अत: निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुति को दृष्टिगत रखते श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री संत राम यादव, ग्राम व पोस्ट सरैया माफी, थाना बल्दीराम, ब्लाक धनपतगंज, सुल्तानपुर की अधिसूचना संख्या-12/2015/सीपी 329/84-2-2015-सीपी 6/2014, दिनांक 01.06.2015 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद में सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी नियुक्ति को निरस्त करने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी0-1, विक्रान्तखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।
(2) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
(3) कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद ।
(4) कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, फर्रूखाबाद (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)
(5) श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री संत राम यादव, ग्राम व पोस्ट सरैया माफी, थाना बल्दीराम, ब्लाक धनपतगंज, सुल्तानपुर ।
(6) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।